झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा

पंचदश् (बजट–सत्र)

वर्ग–03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक :– 10 फाल्गुन, 1945 (श0) / 29 फरवरी, 2024 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेगें :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
''क'' 50	ग्राम–05	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	दोषी पर कार्रवाई एवं भुगतान पर रोक।	ग्रामीण विकास	19.02.24

नोट :– ''क'' 50 दिनांक–28.02.2024 को सदन द्वारा दिनांक–29.02.2024 के लिए स्थगित।

रॉंची,
दिनांक– 29 फरवरी,2024 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञापांकः– प्रश्न–04/2020–2978/वि0स0,रॉंची,दिनांक– 28/02/24

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
28.02.24

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची

क0पृ0 30

ज्ञापांकः– प्रश्न–04/2020–..2978......./वि0स0,राँची,दिनांक– 28/02/24...........
प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय** के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
28.02.24
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञापांकः– प्रश्न–04/2020–..2978......../वि0स0,राँची,दिनांक– .28/02/24...........

प्रतिलिपिः– कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा/ J.V.S TV/ ऑनलाईन शाखा/ प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान सभा,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
28.02.24
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/–

दुर्गा
28.02.24

सत्यमेव जयते

पंचम्

झारखण्ड विधान-सभा

पंचदश (बजट) सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-03

10 फाल्गुन, 1945 (श0)

गुरूवार,दिनांक- .... को

29 फरवरी,2024 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या-01 (एक)

(1) ग्रामीण विकास विभागः- 01 (एक)

कुल योग :- 01 (एक)

पथ का जीर्णोद्धार

उत्तर मुद्रित

"क" 50 श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, क्या मंत्री,ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1- क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के कांडी प्रखण्ड अन्तर्गत PMGSY द्वारा निम्न योजनाएँ ली गई है जिसका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है :-

S.N.	Pakage No	Block	रोड का नाम	लम्बाई कि0मी0
1	JH-P3-22-23-Gar-02-FDR	कांडी	MRL 15-T03 to Marhatia to Belhat to Kharunda	5.72 कि0मी0
2			MRL 19-Ranadih to Sogra T01	5.65 कि0मी0
3			T01-Mokhapi More to Kandi via Mahulidema	8.85 कि0मी0

2- क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा तीनों सड़क का निर्माण घटिया किस्म का तथा प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया जा रहा है, जो जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है ;

3- यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए भुगतान रोक कर जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

1- आंशिक स्वीकारात्मक।

2- क्रमांक-1 में अंकित योजना का कार्य संवेदक द्वारा अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। क्रमांक-2 एवं 3 में अंकित योजना में प्रारंभिक (मिट्टी,गाडवाल एवं कल्वर्ट) कार्य ही किया जा रहा है जो प्राक्कलन में विहित प्रावधान एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

3- प्रश्नगत योजना का कार्य Full Depth Reclamation (FDR) Technology के द्वारा किया जाना है जिसमें NQM (National Quality Monitor)/ SQM (State Quality Monitor) से जाँच का प्रावधान है।

नोट :- "क" 50 दिनांक-28.02.2024 को सदन द्वारा दिनांक-29.02.2024 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांकः- 29 फरवरी,2024 (ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।